न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
पीठासीन अधिकारी
प्रकरण सं0 29/अपील/19

करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0
तारीख दायरा 03.01.19

श्री जैन श्वेताम्बर नागेश्वर तीर्थ कुशल गुरू दादाबाड़ी ट्रस्ट सचिव बसन्तसिंह श्रीमाल आ0 जसवन्त सिंह श्रीमाल जाति जैन महाजन निवासी ग्राम रिगनोद तहसील जावरा जिला रतलाम म0प्र0

————————अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जैन श्वेताम्बर नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थपेड़ी उन्हैल नागेश्वर व्यवस्थापक दीपचन्द आ0 पन्नालाल जैन जाति महाजन निवासी उन्हैल तहसील गंगधार जिला झालावाड़
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 गंगधार

————————रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— 1. श्री तंवरसिंह झाला वकील अपीलान्ट
2. श्री अरूण कुमार ढोटिया वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

—: निर्णयः—

दिनांकः— 22.05.2019

यह अपील धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 21.11.78 के विरूद्व पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्री जैन श्वेताम्बर नागेश्वर तीर्थ कुशल दादाबाड़ी ट्रस्ट का सचिव है इसलिये ट्रस्ट की ओर से अपील पेश करने की इजाजत प्राप्त है—यह कि माननीय न्यायालय तहसीलदार सा0 तहसील गंगधार ने कानून के खिलाफ नामान्तकरण नम्बर 146 बिना कानूनी तहकीकात के नामान्तकरण खोला है जो विधि विरूद्व है—ग्राम उन्हेल पटवार हल्का उन्हेल की आराजी ख0न0 1172 की 1 बीघा 12 बिस्वा एवं अन्य खसरा नम्बरान रेस्पो0 नं0 1 की खातेदारी में दर्ज है, हरीसिंह, बलवन्तसिंह,आ0 रतनसिंह व धूलसिंह इन्द्रसिंह आ0 नानूलाल, भगवानसिंह, नैंनसिंह आ0 इन्दरसिंह , सरदार सिंह, उमराव सिंह पिसरान खुमान सिंह, नाथूसिंह आ0 अनार सिंह भवरबाई बेवा करनसिंह इन्दरबाई बेवा तेजसिंह अकवाम राजपूत निवासी उन्हैल तहसील गंगधार जिला झालावाड़ से दिनांक 02.08.78 को जरिये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड श्री जैन श्वेताम्बर नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ व्यस्थापक दीपकचन्द आ0 पन्नालाल जैन जाति महाजन निवासी उन्हैल तहसील गंगधार जिला झालावाड़ ने ख0न0 1172 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में से 16 बिस्वा पश्चिम दिशा व श्री जैन श्वेताम्बर नागेश्वर तीर्थ दादाबाड़ी व्यवस्थापक मनोहरलाल आ0 धनपतराज की बाफना जाति महाजन निवासी सिंधारा ने ख0न0 1172 की 1 बीघा 12 बिस्वा में से 16 बिस्वा पूर्व दिशा क खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 146 दिनांक 21.11.78 तस्दीक किया गया जिसमें श्री जैन श्वेताम्बर नागेश्वर पार्श्वनार्थ तीर्थ व्यवस्थापक दीपचन्द आ0 पन्नालाल जैन जाति महाजन निवासी उन्हैल को केता बताकर तसदीक किया गया जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अपीलान्ट ट्रस्ट द्वारा भी 16 बिस्वा आराजी क्रय की गई है, तहसीलदार सा0 द्वारा बिना तहकीकात किये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सही तरीके से पढे

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

बिना रेस्पो0 को सम्पूर्ण आराजी का केता मानकर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो मनमानी कार्यवाही परर्वस है तथा केप्रिसियस है जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाकर नामान्तकरण सं0 146 दिनांक 21.11.78 खारिज फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्ट नं0 1 की ओर से वकील अरूण कुमार ढोटिया द्वारा वकालत नामा पेश किया गया । दौराने बहस वकील उभय पक्ष उपस्थित हुवे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो को दोहराते हुवे लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना है नामान्तकरण रेस्पा0 नं0 1 के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा भी 16 बिस्वा आराजी क्रय की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं0 146 दिनांक 21.11.78 को खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपनी बहस में अनुरोध किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है विक्रय पत्र में स्पष्ट अंकित है कि सम्पूर्ण आराजी पर रेस्पो0 नं0 1 को मालिकान हक हॉसिल होगा इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 तस्दीक करने में किसी प्रकार की गलती नही की गई हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.78 यथावत रखा जावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया व बहस अभिभाषक उभय पक्ष पर गौर किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। इसलिये हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामा0सं0 146 दिनांक 21.11.1978 में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः परिणाम स्वरूप हमारी राय मे अपीलान्ट इस अपील के माध्यम से कोई राहत प्राप्त करने का पात्र नही पाये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को खुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।

24/5/19

(करतार सिंह पूनियाँ)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)